रजि सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I —खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 1974/श्रावण 8, 1896
No. 177] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 1974/SRAVANA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th July, 1974

SUBJECT.—*Import Policy for the year April 1974—March 1975.*

No. 107-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March 1975.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol I) for the period April 1974—March 1975:—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of Amendments
1	Section I, para 5	(1) In line 1, *for* the words 'Actual users in the large scale sector', *Read* "Actual users both in the large and small scale sectors," (2) In line 13, the following words may be deemed to have been added after the word 'above':— "or a unit in the large scale sector requires a change in the value of licence on the basis as indicated in para 7 below."
2	Section I, para 6, line 12.	The following words may be deemed to have been added after the word 'above' "or where a unit in the large scale sector does not require any change in the value of licence on the basis indicated in para 7 below."

Page No. of the Red Book Vol. I)	Reference	Details of amendments
2	Section I, para 7, line 6.	The following words may be deemed to have been added after the word "financing,":— "or where a unit in the large scale sector requires a change in the value of the licence on the basis indicated below,"
33	Section II, S.No. 42/I, column 4.	The following new remark may be deemed to have been inserted:— "(2) Import of this item will not be permitted to the manufacturers of brass utensils."
33	Section II, S.No. 44(a)/I, column 4	The following new remark may be deemed to have been inserted:— "(4) Import of this item will not be permitted to the manufacturers of brass utensils."
34	Section II, S.No. 47/I, column 4	The following new remark may be deemed to have been inserted:— "(2) Import of this item will not be permitted to the manufacturers of brass utensils."
41	Section II, S.No. 26(1—4)/II, column 4, remark (2).	The following sentence may be deemed to have been added to the end of the remark:— "Import will, however, not be permitted to the manufacturers of brass untensils."
52	Section II, S.No. 48/IV, column 4	The existing remarks (i), (ii) and (iii) may be deemed to have been substituted by the following remarks:— "(1) Requirements of actual users for manufacture of edible items such as confectionery, asafoetida, beverages, pharmaceuticals, will be met by imports through public sector agency. Please see Section III of this Red Book. (2) Import of this item will not be permitted for end-uses other than those covered by remark (1) above."
78	Section II, S.No. 122(ii)/V, column 4, remark (1).	The following item may be deemed to have been inserted as S.No. (vii):— "(vii) Polyester and Polyether (Polyol)."
187	Section V, Appendix 19, Annexure 5, List C.	The following new items may be deemed to have been included in this list under the respective columns:—

Sl. No.	Scientific or English name of the crude drug.	Ayurvedic and Unani name of the crude drug.
28	Phoenix dectilifera Linn.	Khajoor.
29	Vaterial idica Linn	Raal
30	Shell	Cowrie. Kharmohra
31	Ipompa purga Hayne Macican Jalap	Jalapa Nishot
32	Rubia corditolia Linn	Manjitha
33	Shakar Teghal	Shakar Teghal
34	Ocimum gratissimum Willd	Firanj Mushk.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
196	Section V, Appendix 21, List III.	The following entries may be deemed to have been included in this list:—

Indian chart		*Equivalent foreign charts*		
Chart No.	*Title*	*Country*	*Chart No.*	*Title*
9001	Malacca Strait	U.K.	1355	Malacca Strait
		USA	1595 (Old No.)	Salang or Junksoylon Island to Singapore including Malay
			71000 (New No.)	Peninsula and Northern Sumatra (Malacca Strait)
		Germany	358	Malacca Starafe and Nordicher Teil der Westhuste von Sumatera.
		Japan	620	Diamond Pt to Singapore.

215	Section V, Appendix 28, List II, item No. 76—Phenatidine	The description of this item may be deemed to have been amended to read as under:— "76. Ortho-phenatidine."
238	Section V, Annexure to Appendix 34, Section I, List A, S.No. 4, Column 2.	The item 'Top Rollers' appearing at S No. 1 may be deemed to have been deleted.
240	Section V, Annexure to Appendix 34, Section I, List B, item No. 10.	*For* the existing description "Top Rollers for Draw/Speed Frames", *Read*" Top rollers for Ring/Draw/Speed Frames."
281	Section V, Appendix 41, Schedule 'D', S.No. 16(I)(b) column 2.	The existing description of this item may be deemed to have been amended to read as under:— "Standard Quality Plates (Semi-killed or killed quality IS-226 or equivalent specification)."
303	Section V, Appendix 48, item No. 7 under the heading— (G) Sealed Compressors 1/10 HP to 7 1/2 HP.	The existing description of this item may be deemed to have been substituted by the following:— "7. Nylon or paper based electric insulation material, rag paper, fish paper, presspahn paper, press board and polyester film."
348	Section V, Appendix 73, para 2.	(1) *In line* 1, for the words 'on an annual basis, for a value equal to 5%', *Read* 'on six monthly requirements for the period April-September 1974, for a value equal to 2 1/2%', (2) *In Line* 4, for the entry '4%', read '2%'.
351	Section V, Appendix 73, para 10, line 3	*For* the entry "Rs. 4,000/-", *Read* "Rs. 8,000/-"
351	Section V, Appendix 73, para 11, line 2.	*For* the entry '5%', *Read* '2 1/2%',
356	Section V, Appendix 74, S.No. 48/IV.	This S.No. and the entries relating thereto appearing in columns 2 and 3 may be deemed to have been deleted.
366	Section V, Appendix 74, S.No. 22, 31/V (Appendix 28), item No. 99—Phenatidine.	The description of this item may be deemed to have been amended to read as under:— "99. Ortho-phenatidine.".

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1974

विषय.—अप्रैल , 1974—मार्च 1975 वर्ष के लिए आयात नीति ।

संख्या 107—आई० टी० सी० (पी०एन०)/74.—अप्रैल 1974 मार्च 1975 वर्ष की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०—1) में तथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०—1) में उचित स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1	खंड–1 कंडिका 4	(1) पंक्ति 1 में शब्द "बृहत पैमाने क्षेत्र के वास्तविक उपयोक्ता" के लिए "बृहत तथा लघु दोनों पैमाने क्षेत्रों के वास्तविक उपयोक्ता पढ़ें । (2) पंक्ति 13 में निम्नलिखित शब्दों को शब्द 'उपर्युक्त' के बाद जोड़ा गया समझा जाए :— "या बृहत पैमाने क्षेत्र का एक एकक नीचे की कंडिका 7 में संकेतिक किए गए के आधार पर लाइसेंस के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता ।"
2	खंड-1 कंडिका 6, पंक्ति 12	निम्नलिखित को शब्द 'उपर्युक्त' के बाद जोड़ा गया समझा जाए :— "या जहां पर बृहत पैमाने क्षेत्र का एक एकक नीचे की कंडिका 7 में संकेतिक किए गए के आधारप र लाइसेंस के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता ।"
2	खंड 1 कंडिका 7, पंक्ति 6	निम्नलिखित शब्दों को शब्द 'अर्थयुक्त करने के लिए' के बाद जोड़ा गया समझा जाए :— "या जहां पर बृहत पैमाने क्षेत्र का एक एकक नीचे संकेतित किए गए के आधार पर लाइसेंस के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता ।"
33	खंड 2, क्रम संख्या 42/1 कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी को शामिल किया गया समझा जाए :— "(2) पीतल के बर्तनों के विनिर्माताओं को इस मद के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।"

(1)	(2)	(3)
33	खंड 2, क्रम संख्या 44(क)/1 कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी को शामिल किया गया समझा जाए:— "(4) पीतल के बर्तनों के विनिर्माताओं को इस मद के आयात की अनुमति नही दी जाएगी।"
34	खंड 2, क्रम संख्या 47/1, कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी को शामिल किया गया समझा जाये:— "(2) पीतल के बर्तनों के विनिर्माताओं को इस मद के आयात की अनुमति नही दी जाएगी।"
41	खंड 2, क्रम संख्या 26 (1-4)/2 कालम 4, टिप्पणी (2)	"निम्नलिखित वाक्य को टिप्पणी के अन्त में जोड़ा गया समझा जाए:— "पीतल के बर्तनों के विनिर्माताओं को आयात की अनुमति नही दी जाएगी।"
52	खंड 2, क्रम संख्या 48/4 कालम 4	वर्तमान टिप्पणी (1), (2) और (3) को निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "(1) खाद्य पदार्थो जैसे मिठाई, हींग, शराब, औषध-रसायन के विनिर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओ की जरूरतों की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र अधिकरण के माध्यम से आयात कर ली जाएगी। कृपया इस रैंड बुक का खंड-3 देखें। (2) उपर्युक्त टिप्पणी (1) के अन्तर्गत आने वाली मदों से भिन्न इस मद के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
78	खंड 2, क्रम संख्या 122 (51)/5, कालम 4, टिप्पणी (1)	निम्नलिखित मद को क्रम संख्या (7) के रूप में शामिल किया गया समझा जाये :— "(7) पालिएस्टर एवं पालिएथर (पालियोल)।"
187	खंड 5, परिशिष्ट 19, अनुबन्ध-5, सूची सी।	निम्नलिखित नई मदों को इस सूची में सम्बन्ध कालम के अन्तर्गत शामिल किया गया समझा जाए :—

क्रम सं०	अपरिष्कृत मेषज का वैज्ञानिक अथवा अंग्रेजी नाम	अपरिष्कृत मेषज का आयुर्वेदिक एवं यूनानी नाम
28	फोनिक्स डेक्टिलीफेरा लिन	खजूर
29	वटोरियल इन्डिका लिन	राल
30	शेल	कोरी खरमोरा
31	आइपोम्पा पुर्गा हेनी मेकीकेन जलाप	जलापा मिशात
32	रुबिया कार्डिफोलिया लिन	मन्जीठा
33	शकर तेन्हल	शकर तेन्हल
34	आसिमम ग्रेटीसीमम विल्ड	फिरंज मुश्क

1	2	3
196	खंड 5, परिशिष्ट 21 सूची 3 भारतीय सारणी	निम्नलिखित प्रविष्टियों को इस सूची में शामिल किया गया समझा जाए :— समतुल्य विदेशी सारणी

सारणी सं० शीर्षक	देश	सारणी सं०	शीर्षक
9001 मलाक्का स्ट्रेट	यू० के०	1355	मलाक्का स्ट्रेट सलंग अथवा
	यू०एस० ए०	1595 (पुरानी सं०) 71,000 (नई सं०)	जंकसिलान टापू से सिंगापुर जिनमें मलय प्राय: द्वीप एवं उत्तरी सुमात्रा शामिल है (मलाक्का स्ट्रेट) है ।
	जर्मनी	358	मलाक्का स्टार्फे एवं नार्डीचर लेल डर वेस्थूस्ते वन सुमाट्रेरा
	जापान	620	डायमन्ड पी टी से सिंगापुर ।

215	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद सं०.76 फेनाटिडाइन	इस मद के विवरण को इस प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— "76 आर्थो–फनाटिडाइन"
238	खंड 5, अनुबंध से परिशिष्ट 34 तक, खंड 1, सूची ए, क्रम सं० 4, कालम 2	क्रम सं० 1 पर दिखाई गई "टाप रोलर्स" मद को हटाया गया समझा जाए ।
240	खड 5, अनुबंध से परिशिष्ट 34 तक, खड 1 सूची बी, मद सं० 10	वर्तमान विवरण ड्रा/स्पीड फ्रेमस के लिए टाप रोलर्स के लिए "रिंग/ड्रा/स्पीड फ्रेम्स के लिए टाप रोलर्स" पढ़े
281	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी', क्र० सं० 16–1 (बी), कालम 2	इस मद के वर्तमान विवरण को इस प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए:— "स्टैन्डर्ड क्वालिटी प्लेट्स (सेमीकिल्ड अथवा किल्ड क्वालिटी आई एस–226 अथवा समतुल्य विशिष्टिकरण)"
303	खंड 5, परिशिष्ट 48. (जी), सीरीज दाबक 1/ 10 एच पी से $7\frac{1}{2}$ एच पी शीर्षक के अन्तर्गत मद सं० 7	इस मद के वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "7 नाइलान अथवा पेपर बेस्ड इलेक्ट्रिक इन्सूलेशन सामान रेग पेपर' फिश पेपर, प्रेस्फान पेपर, प्रेस बोर्ड एवं पोलिस्टर फिल्म"
348	खंड 5, परिशिष्ट 73, कंडिका 2	(1) पंक्ति 1 में, '5%' के बराबर मूल्य के लिये आए हुए वार्षिक आधार पर 'शब्दों के लिये '$2\frac{1}{2}$% के बराबर मूल्य के लिए अप्रैल—सितम्बर 1974 अवधि के लिए अर्धवार्षिक आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ (2) पंक्ति 4 में '4%' प्रविष्टि के लिए '2%' पढ़ें ।

1	2	3
351	खंड 5, परिशिष्ट 73, कंडिका 10, पंक्ति 3	प्रविष्ट '4000 रुपये' के लिए '8000 रुपए' पढ़ें
351	खंड 5, परिशिष्ट 73, कंडिका 11, पंक्ति 2	प्रविष्टि '5%' के लिए '2½%' पढ़ें
356	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 48/4	इस क्रम सं० और इस से संबंधित कालम 2 एवं 3 में आई हुई प्रविष्टियों को हटाया गया समझा जाए ।
366	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 22, 31/5 (परिशिष्ट 28), मद सं० 99 फेनाटिडाइन	इस मद के विवरण को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा गया समझा जाए :— "99 आर्थो :—फेनाटिडाइन"

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974